eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 01, January 2025

भारत में पर्यावरणीय आंदोलन और मुद्दे: विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुमित कुमार[1], प्रो० प्रीति पाठक[2]
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, साहू रामस्वरुप महिला महाविद्यालय, बरेली, उ0प्र0
[2]शोध निर्देशक, राजनीति विज्ञान, साहू रामस्वरुप महिला महाविद्यालय, बरेली, उ0प्र0

Received: 20 January 2025 Accepted & Reviewed: 25 January 2025, Published : 31 January 2025

Abstract

पर्यावरण आंदोलन एक प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक आंदोलन है, जिसमें मनुष्य, समूह और गठबंधनों का समूह शामिल होते हैं। जो पर्यावरण संरक्षण में अपना सामूहिक हित समझते हैं और व्यक्ति पर्यावरण नीतियों और प्रथाओं में बदलाव के लिए कार्य करते है। भारत में पर्यावरण आंदोलन की उत्पत्ति 20वीं सदी की शुरुआत में देखी जाती है, जब ब्रिटिश व्यक्तियों द्वारा औपनिवेशिक काल के दौरान वन संसाधनों की व्यावसायिकरण के खिलाफ आंदोलन किया गया था। भारत में औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण में दबाव बढ़ा,जिसके परिणाम स्वरुप वायु, जल और भूमि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं उत्पपर्यावरण आंदोलन एक प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक आंदोलन हैं,जिसमें मनुन्न हुई हैं। पर्यावरण आंदोलन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसमें मुख्य रूप से बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आन्दोलन आदि शामिल है। और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भोजन और पानी की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता हानि आदि शामिल है।

इस प्रकार इन आंदोलनों और मुद्दों या समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने कई नीतियां और योजनाएं शुरू किया। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और स्वच्छ भारत अभियान आदि। इन सभी ने भारत में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया है लेकिन पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। तथा इस शोध पत्र में मुख्य रूप से पर्यावरण आंदोलन और पर्यावरणीय मुद्दों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द: पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण मुद्दे और लोग

Introduction

भारत में पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दे और आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू रहे हैं। भारत एक विशाल जनसंख्या और विविध परिस्थितिकीय तंत्र वाला देश होने के कारण पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करता रहा है। और औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है, जिससे वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, जल और वायु प्रदूषण, भूमि कटाव और जैव विविधता में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। हम लोगों के विकास प्रक्रिया ने हजारों लोगों को जल, जंगल, जमीन से हाथ धोना पड़ा। इस विकास प्रक्रिया के इन्हीं दुष्प्रभावों ने आम जनमानस पिछले कुछ समय से मिलकर रहने तथा विकास को पर्यावरण संरक्षण आधारित करने के लिए या इन मुद्दों से निपटने के लिए समय–समय पर कई पर्यावरणीय आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, जिसे हम पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। इनमें सबसे प्रमुख आंदोलन में से एक चिपको आंदोलन जो 1970

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 01, January 2025

के दशक में उत्तराखंड में वनों की कटाई के विरोध में शुरू हुआ, इसके अलावा नर्मदा आंदोलन, अपीको आंदोलन प्रमुख थे।

माधव गाडगिल तथा रामचंद्र गुहा भारतीय पर्यावरण आंदोलन में मुक्त तीन वैचारिक दृष्टिकोण पर स्थित किया है गांधीवादी, मार्क्सवादी तथा उपयुक्त तकनीकी दृष्टिकोण। गांधीवादी दृष्टिकोणः इनका दृष्टिकोण व्यापक था। गांधी जी ने व्यक्तियों से तकनीको के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इनका न प्रयोग करने का आवाहन किया। गांधी जी पृथ्वी को एक जीवित संरचना मानते थे, उनका कहना था कि आधुनिकीकरण का जितना गहरा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है उससे ज्यादा गहरा दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। गांधीवादी दृष्टिकोण पर्यावरण समस्याओं के लिए मानवीय मूल्यों को तथा आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली को जिम्मेदार मानते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भी प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की ओर लौटने पर बल देते हैं।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणः इस दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरणीय संकट को राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों से जोड़ा जाता है। यह मुख्य रूप से कहते हैं कि समाज में संसाधनों का असमान वितरण पर्यावरण समस्याओंध्मुद्दों का मूल कारण होते हैं। इस प्रकार मार्क्सवादियों के अनुसार पर्यावरणीय सद्भाव पाने के लिए आर्थिक समानता पर आधारित समाज की स्थापना एक महत्वपूर्ण शर्त मान है। उपयुक्त तकनीकी दृष्टिकोणः यह दृष्टिकोण पर्यावरणीय मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उपयुक्त तकनीकी दृष्टिकोण औद्योगिक, कृषि, प्राचीन तथा आधुनिक तकनीकी परंपराओं के मध्य तालमेल बैठने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण व्यावहारिक रूप से गांधीवादी तकनीको तथा रचनात्मक कार्यों से बहुत जुड़ाव दिखाई देता हैं। इन तीनों दृष्टिकोण की एक झलक चिपको आंदोलन में दिखाई देती है।

'भारत में पर्यावरण आंदोलन'

भारत में इनका इतिहास बहुत प्राचीन है, यह आंदोलन आमतौर पर अनेक लोगों, समूह और संघों से मिलकर बने होते हैं। यह महत्वपूर्ण रूप से पर्यावरण संरक्षण में समान रुचि रखते हैं और पर्यावरणीय नीतियों और प्रथाओं में सुधार में तत्पर्य रहते हैं। भारत में पर्यावरण आंदोलन, वायु और जल प्रदूषण और वनों की कटाई से संबंधित समस्याओं से प्रेरित होते हैं। अतः भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन इस प्रकार हैं:–

अप्पिकी आन्दोलनः यह आंदोलन सितंबर (1983) में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जिला में कलसा जंगलों की रक्षा के लिए हुआ था। इसको "दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन" के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना और कलसे से जंगलों का संरक्षण करना था। यह आंदोलन ने एक स्थाई विश्व के लिए गांधी के विरोध और लामबंदी के तरीके को पुनः प्रस्तुत किया, जिससे व्यक्ति और पर्यावरण सह अस्तित्व में रहे। बिश्नोई आंदोलनः यह आंदोलन (1730) के दशक में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के खेजडली गांव में पवित्र खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए हुआ था। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण, वन्य संरक्षण और हरित जीवन के समर्थन में गठित होने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक था। "अमृता देवी" ने इस प्रयास का नेतृत्व किया जिससे 363 लोगों ने अपने वनों के संरक्षण के लिए अपनी जान दे दी और पेड़ों की सुरक्षा के लिए उन्हें गले लगाया।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 01, January 2025

साइनलेंट वैली आन्दोलनः यह आंदोलन (1973) में केरल के पलक्कड़ जिले में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की सुरक्षा के लिए किया गया। साइलेंट वैली आंदोलन का उद्देश्य प्रस्तावित जल विद्युत बांध परियोजना से शांत घाटी और इसकी समृद्ध जैव विविधता को बचाना है। यह सर्वप्रथम स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ किया गया बाद में इसे केरल शास्त्र सहित परिषद ने अपने संरक्षण में ले लिया। चिपको आन्दोलनः यह आंदोलन (1973) उत्तराखंड के मढवाल मंडल के चमोली जिले में हुआ। यह गांधीवादी विचारधारा को मानने वाला अहिंसक विरोध था। "चिपको" का अर्थ "गले लगाना" से है, क्योंकि इसमें लकड़हारों द्वारा पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाना शामिल था। यह आंदोलन पहाड़ियों में परिस्थितकी अस्थिरता के विरोध में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य–"हिमालय के वनों को विनाश से बचाना"। इस आंदोलन के प्रमुख नेता चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, सुरक्षा देवी, बचनी देवी आदि।

नर्मदा बचाओ आंदोलनः यह आंदोलन (1985) में गुजरात,मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के निर्माण के विरोधधखिलाफ में चलाया गया। इसमें मुख्य नेता मेधा पाटेकर,बाबा आमटे और कई अन्य थे। इसका प्रमुख उद्देश्य– "विकास परियोजनाओं विशेषकर नदी बांध निर्माण के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाना।" जंगल बचाओ आंदोलनः यह (1980) के दशक में वर्तमान झारखंड के सिंहभूम जिले में शुरू हुआ। यह सरकार की उस योजना के खिलाफ विरोध था जिसमें देशी साल के जंगलों के स्थान पर व्यावसायिक सागौन के बागान लगाने की बात कही थी। यह मुख्य रूप से विभिन्न रूपों में बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में विस्तार से फैला। यह निर्णय लेने से आदिवासी समुदाय अधिक रूप से प्रभावित हुए क्योंकि इसमें उस क्षेत्र के आदिवासियों के अधिक अधिकार और आजीबिका प्रभावित होगी।

'पर्यावरण संबंधी मुद्दे'– पर्यावरणीय मुद्दे ऐसे विषय होते हैं जो पृथ्वी और उसकी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित होते हैं। ये मुद्दे मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रमुख रूप से प्रदूषण,अधिक जनसंख्या, अपशिष्ट निपटान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीनहाउस प्रभाव आदि शामिल होते हैं। वर्तमान में इन सब पर्यावरणीय मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तनः मानव गतिविधियों के कारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ता चला जा रहा हैं, जिसमें मौसम में अस्थिरता, बर्फ पिघलना,समुद्र का स्तर बढ़ना और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है। आज के परिदृश्य जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। वायु प्रदूषणः भारत के कई शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य और पराली जलाने जैसी गतिविधियों के कारण वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई हैं। इसके कारण लोगों में अस्थमा, कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियां बढ़ रही है। जल प्रदूषणः भारत की नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी प्रदूषण से जूझ रहीं हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन और शहरी क्षेत्रो के सीवेज का जल स्रोतों में सीधे प्रवेश जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। साथ ही पानी की उपलब्धता की समस्या खास कर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती है।

वनों की कटाईः– भारत में बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण वनों की कटाई तेज हो रही है। जंगलों को कृषि भूमि बदलने, औद्योगिकरण और सड़क निर्माण के कारण वनों का विनाश हो रहा है। यह न केवल

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 01, January 2025

जैव विविधता को खतरे में डालता है बल्कि जलवायु परिवर्तन और भूमि संरक्षण की समस्या को भी बढ़ाता हैं।

कचरा प्रबंधन ऑफ प्लास्टिक प्रदूषणः भारत में शहरीकरण के बढ़ने के साथ कचरे की समस्या का विकराल रूप धारण हो गई है। ठोस अपशिष्ट, विशेष कर प्लास्टिक का प्रबंध एक बड़ी चुनौती है। कई शहरों में कचरा खुले में पड़ा रहता है जिसमें जल और मिट्टी प्रदूषित होते हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समुद्री क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा हैं।

भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरणः कृषि विस्तार, अत्यधिक चराई और जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की बड़ी भूमि क्षेत्र मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रही है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यो में भूमि की उर्वरता तेजी से घट रही है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और किसानों की आजीविका पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। जैव विविधता का नुकसानः भारत दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले देशों में से एक है, लेकिन औद्योगिक गतिविधियों, कृषि विस्तार और शहरीकरण के कारण वन्य जीव के आवास खत्म हो रहे हैं। बाघ, हाथी, गैडे और गिद्द जैसी कई प्रजातिया खतरे में हैं। और सुरक्षित क्षेत्रो की कमी और अवैध शिकार की समस्या को बढ़ा रहे है।

फसलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्याधिक उपयोगः हरित क्रांति के बाद से भारत में उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्याधिक उपयोग हो रहा है, इससे भूमि की उर्वरता कम हो रही है और जल स्रोतों में रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किया जा रहे हैं,लेकिन रासायनिक कृषि के दुष्परिणाम अभी भी एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। पर्यावरण नीति और प्रवर्तन की कमीः भारत में कई पर्यावरणीय कानून है लेकिन उनका प्रभावी रूप से परिवर्तन नहीं हो पता है। औद्योगिक प्रदूषण, अवैध खनन और वनों की कटाई पर अंकुर लगाने में नीति प्रवर्तन में कमी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊर्जा की खपत और कोयला आधारित ऊर्जाः भारत को ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है और इसका बड़ा हिस्सा कोयला आधारित बिजली उत्पादन से पूरा होता है, जो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। हालांकि की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर और पवन ऊर्जा) को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है लेकिन कोयला आधारित ऊर्जा पर अभी भी अत्यधिक निर्भरता बनी हुई हैं

समाधानः

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास जैसे सौर और पवन ऊर्जा ।
- पुनः वनरोपण को बढ़ावा देन।
- कचरा प्रबंधन को सख्ती से लागू करना और प्लास्टिक उपयोग को कम करना।
- स्वच्छ भारत अभियान और अन्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन।
- पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता फैलाना, ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हो।

भारतीय सरकार ने इन मुद्दों या चुनौतियों को सुलझाने के लिए कई योजनाए चलाया जैसे राष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), जल जीवन मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आदि। इन योजनाओं को उद्देश्य पर्यावरणीय समस्याओं से निपटना और देश के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

'भारत में पर्यावरण कानून'

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 01, January 2025

भारत सरकार ने पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कानून का निर्माण किया। जो इस प्रकार हैः

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम (1972): इसका मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों, पक्षियों और पेड़–पौधों के संरक्षण तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए प्रावधान करना हैं। जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम (1974): इसका उद्देश्य जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण प्रदान करना और अनेक जल स्रोतों के माध्यम से जल की शुद्धता और स्वास्थ को बनाए रखना है। वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम (1981): इसमें मुख्य रूप से भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और रोकना है। उद्देश्य–वायु प्रदूषण को रोकथाम, नियंत्रण उपशमन हेतु प्रावधान करना।० इसको लागू करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर बोर्डो की स्थापना करना है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986): इसे पूरे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम (2000): इसमें मुख्य रूप से विभिन्न ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने तथा ओडियस युक्त उत्पादों के उत्पादन, व्यापार आयात को निर्यात को नियमित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की हैं।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (2018): इसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर जैसे पर्यावरण खतरों पर मुख्य ध्यान में रखते हुए सतत विकास को बढ़ावा देना है। और मछुआरों के साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के अलावा जैव विविधता का संरक्षण करना है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001): यह अधिनियम ऊर्जा दक्षता में सुधार और अपव्य को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह उपकरणों और उपकरणों के लिए ऊर्जा खपत मानकों को ध्यान देता है।

जैविक विविधता अधिनियम (2002): इसको नागोया प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया। इसे केंद्रीय और राज्य बोर्डों और स्थानीय समितियां को त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से चोरी की जांच करना और जैव विविधता और स्थानीय उत्पादको की रक्षा करना हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (2006): इसमें मुख्य रूप से वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों (एफडीएसटी) और अन्य पारंपरिक वनवासियों(OTFD) को वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मानता और उन्हें ऐसे वनों में पीढ़ियों से रहने का अधिकार देता हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010): यह अधिनियम पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना संबंधी मामलों में तेजी से निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है।

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम (2016): इस अधिनियम में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए एकत्रित धनराशि का प्रबंध करने के लिए बनाया गया था, जिसे अब तक तक तदर्श प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित किया जाता हैं। यह कानून भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार और गैर सरकारी के संगठनों द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 01, January 2025

निष्कर्षः – अतः हम कह सकते हैं कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलन एक संतुलित और टिकाऊ विकास की दिशा पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। अतः पर्यावरण आंदोलन में स्थानीय समुदायो को सशक्त किया हैं, जिससे वे अपनी भूमि, जल और जंगलों की रक्षा कर सके। इन आंदोलनों ने सरकार पर दबाव बनाया कि वे पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को अपनाए,जिससे विकास के मॉडल में बदलाव लाया जा सके। वर्ष 1970 के दशक के बाद पर्यावरण संबंधित मुद्दे अंतरराष्ट्रीय स्तर उठने लगे और स्टॉकहोम सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन किए गए। भारत ने अंतरराष्ट्रीय नियमों और विधि के अनुरूप प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के प्रति संकल्प प्रस्तुत किया। इस प्रकार कह सकते हैं की भारत में पर्यावरण आंदोलन ने विकास की दिशा को बदलने में प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

- यादव, वीरेंद्र सिंह (2009): पर्यावरण वर्तमान और भविष्य, राधा पब्लिकेशन देहली।
- डॉ. लाल, हम (2021): पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान पर चुनौती पूर्ण मुद्दे।
- द्विर्वेदी, अनुराग (2013): समाज एवं पर्यावरण (चुनौतियां मुद्दे), ए एस आर पब्लिकेशन।
- व्यास, हरिश्चंद्र (2010): जनसंख्या प्रदुषण और पर्यावरण।
- अग्रवाल, ए. एस. नारायण एंड आई खुराना (2011): मेकिंग वॉटर इवरीबॉडीज बिजनेस, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट न्यू देहली।
- शिवा, वंदना, स्टेयिग इन अलाइव (1988): वोमेन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, न्यू देहली।
- सिंह,ए. (2015): समकालीन भारत में विकास प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन, ओरिएंट ब्लैकस्वॉन प्रकाशन, तेलंगाना।
- नायक, ए (2015): एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, जनरल ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, वॉल्यूम 31: 249–280।

https://www.epw.in/journal/2006/insinght/keralas-plachimada-struggle.html

https://ijsrst.com.paper

https://byjus.com

https://hi.wikipedia.org

https://www.redalyc.org

https://egyankosh.ac.in

https://www.jetir.org

https://en.wikidedia.org